संख्या-33/2019/2757/33-3-2019 -320/2016 टी.सी.

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराजअनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 04 नवम्बर, 2019**

विषयः- संविधान दिवस / बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर दिनांक 26 नवम्बर, 2019 से दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के पत्र संख्या-403/1/2/2015-सी.ए.वी. दिनांक 25.10.2019(प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संविधान को ग्रहण किए जाने की तिथि 26 नवम्बर, को **'संविधान दिवस'** के रूप में मनाये जाने का उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर संविधान निर्माण के लिए अमूल्य योगदान हेतु बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर व अन्य संविधान निर्माताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाना है। भारतीय लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार द्वारा संविधान के महत्वपूर्ण बिन्दु- मूल कर्तव्य के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय अभियान जन जागरूकता हेतु चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान **दिनांक 26 नवम्बर, 2019 से दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक** बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, जो कि **"समरसता दिवस"** के रूप में मनाया जा रहा है, तक चलेगा। इस अवसर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों की नियत समय पर विशेष बैठकों का आयोजन व नागरिकों के मूल कर्तव्यों के सम्बन्ध में शपथ तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं प्रत्येक शनिवार को भारत सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रम/ योजनाओं के रिपोर्ट कार्ड का सार्वजनिक पाठन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस अवसर पर उक्तमुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक-यथोक्त। भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- कैबिनेट सचिव, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या-403/1/2/2015-सी.ए.वी. दिनांक 25.10.2019 के संदर्भ में।
2- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य एवं विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, पंचायतीराज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।
5- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0) उ0प्र0।
8- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- पंचायती राज अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।